

छत्तीसगढ़ शासन
उच्च शिक्षा विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नया रायपुर

-- 0 --
:: आदेश ::

नया रायपुर, दिनांक 29/07/2017

क्रमांक एफ 1-25/2014/38-1 :: राज्य शासन, एतद्वारा, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के पत्र क्रमांक 860/95/2010/चयन, रायपुर, दिनांक 7 जुलाई, 2017 द्वारा प्रेषित सहायक प्राध्यापक (वनस्पति शास्त्र) के पद हेतु अनुपूरक सूची से श्रेणीवार निम्नलिखित अभ्यर्थियों को पुलिस द्वारा उनके चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में सहायक प्राध्यापक(वनस्पति शास्त्र) के पद पर वेतन बैंड रूपये 15600-39100 + ग्रेड वेतन रूपये 6000/- में उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 02 वर्ष की कालावधि की परीक्षा पर अनन्तिम (Provisional) रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन नियुक्त करता है :-

क्र	नाम एवं वर्तमान पता	पदस्थापना	रिमांक
1	2	3	
1	श्री गोपीनाथ शर्मा आ श्री श्यामलाल शर्मा, c/o श्री परमानंद होता, मछली कॉम के पास चांदमारी, रायगढ़ छ.ग. पिन. 496001	शास. श्यामा प्रसाद मुखर्जी महाविद्यालय, सीतापुर, जिला-सरगुजा	(UR)
2	श्री रघुनंदन प्रसाद शर्मा आ श्री रामाधार शर्मा, मु.पो. अमोरा, क्वाया गोपालनगर, थाना अकलतरा जिला-जांजगीर-चापा, छ.ग. पिन 495663	शासकीय अग्रसेन महाविद्यालय, बिल्हा, जिला- बिलासपुर	(UR)
3	श्री सुशील कुमार अग्रवाल आ श्री बसंत कुमार अग्रवाल, अग्रोहा कापीयर्स पुराना बस स्टैंड कोरबा छ.ग. पिन 495677	शासकीय ई.व्ही.पी.जी. महाविद्यालय, कोरबा	(UR)
4	श्री सतोष कुमार सिंह आ श्री जयप्रकाश सिंह, जी-1 बच्चा जी अपार्टमेन्ट, 7 स्टैनली रोड इलाहाबाद उ.प्र. पिन 211002	शासकीय इन्द्रावती महाविद्यालय, भोपालपटनम, जिला-बीजापुर	(UR)
5	सुनीता कुमारी पति श्री पंकज कुमार सिंग, अशोक नगर, शांति सराई, पो.आ.-भरीगउसराम, जिला बलिया उ.प्र.पिन 277001	शासकीय महाविद्यालय, राजपुर, जिला-बलरामपुर	(UR)
6	स्वाती तिवारी आ श्री रामजी प्रसाद तिवारी, 55 कादंबरी नगर, धमघा रोड दुर्ग छ.ग. पिन 491001	शासकीय शिवनाथ विज्ञान महाविद्यालय, राजनांदगांव	(UR)
7	श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह आ. समर बहादुर सिंह, ई-74 आर.डी.ए.कालोनी रायबरेली उ.प्र. 229001	शासकीय बासादे महावि. कुनकुरी जिला-जशपुर	(UR)
8	प्रज्ञा राय आ श्री हरिहर राय, विजय लक्ष्मी मेमोरियल गर्ल्स हास्टल, 102/3 सी मालवीय रोड, जार्ज टाऊन इलाहाबाद उ.प्र. पिन 211002	शास. रानी रश्मि देवी महाविद्यालय, खैरागढ़, राजनांदगांव	(UR)
9	बरखा सिंह पति श्री यशोदा नंदन सिंह, पुरानी बस्ती गांधी भवन के पास, अकलतरा जिला-जांजगीर चापा छ.ग.पिन495552	शास.महापटना कोरिया	(UR)
10	सुधमा पटेल आ स्व. श्री रूपधर पटेल, ग्राम कोसमंदा, पो. पुसौर जिला रायगढ़ छ.ग. पिन 496440	शास.किरोडीमल पी.जी.महा.रायगढ़	(OBC)

उक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी :-

1. यह नियुक्ति पूर्णतः अनन्तिम (Provisional) है।

.....2




2. अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुप्रमाणन फार्म का पुलिस द्वारा सक्षम प्राधिकारी से सत्यापन के उपरांत यदि अनुप्रमाणन फार्म में दी गई जानकारी असत्य पायी जाती है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का प्रमाण पत्र असत्य पाया जाता है तो बिना कोई कारण बताये उसकी सेवाएँ तत्काल समाप्त कर दी जायेगी जिसके लिये अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होगा तथा किसी भी प्रकार की दायेदारी का हकदार नहीं होगा। इस संबंध में शपथ पत्र नान ज्यूडिशियल स्टाम्प में कार्यभार ग्रहण करते समय प्रस्तुत करना होगा।
3. नियुक्त अभ्यर्थी को जिला चिकित्सालय के मेडिकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
4. पदभार ग्रहण करते समय समस्त सुसंगत योग्यता संबंधी मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा एवं छायाप्रतियाँ सत्यापित करवाना होगा। सत्यापन के पश्चात् मूल प्रमाण-पत्र वापस कर दिये जायेंगे।
5. आरक्षित श्रेणी के नियुक्त अभ्यर्थी द्वारा जाति प्रमाण पत्र का सत्यापन स्वतः छानबीन समिति से करवाकर दो माह के भीतर नियोक्ता अधिकारी को सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी और यदि उक्त नियत अवधि में अभ्यर्थी छानबीन समिति द्वारा सत्यापित जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असफल रहता है अथवा छानबीन समिति द्वारा सत्यापन के उपरांत उसका जाति प्रमाण पत्र फर्जी/गलत पाया जाता है, तो बिना कोई कारण बताए पूर्वाग्रह के बिना उसकी नियोक्ता द्वारा सेवाएँ समाप्त कर दी जायेगी तथा झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये उसके विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के प्राक्धानों के अंतर्गत यथोचित कार्यवाही भी की जा सकेगी। जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन के उपरांत ही संबंधित की नियुक्ति को अंतिम रूप से मान्य किये जाने पर विचार किया जायेगा। संबंधित का यह दायित्व होगा कि वह छानबीन समिति द्वारा चाहे गये सभी आवश्यक दस्तावेज/रिकार्ड एवं जानकारियाँ अपने जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु छानबीन समिति को उपलब्ध कराएगा।
6. शासकीय/अर्द्धशासकीय विभागों, निकायों में कार्यरत अभ्यर्थी को उपस्थिति के समय नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र आवश्यक रूप से प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
7. कार्यभार ग्रहण करने हेतु उपस्थित होते समय अभ्यर्थी स्वयं की पहचान हेतु वर्तमान में प्रचलित नियमानुसार अपने पहचान प्रमाण पत्र (जैसे-मतदाता पहचान पत्र, ड्रायविंग लाईसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या अन्य कोई सुसंगत) पहचान प्रमाण पत्र मूल रूप में प्रस्तुत करेगा जिसकी सत्यापित छायाप्रति संबंधित महाविद्यालय के प्राचार्य के पास रहेगी।
8. नियुक्त अभ्यर्थियों के सेवा संबंधी मुद्दे शासकीय सेवकों को वर्तमान में लागू सामान्य नियमों, छ.ग. सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 एवं छ.ग. शैक्षणिक सेवा (महाविद्यालयीन) भर्ती, नियम, 1990 (समय-समय पर यथा संशोधित) के अध्याधीन रहेंगे।
9. नियुक्त अभ्यर्थियों को छ0ग0 सिविल सेवा (पेंशन) नियम-1976 के प्राक्धान लागू नहीं होंगे। इन्हें राज्य शासन द्वारा 1 नवम्बर 2004 से लागू नवीन अंशदायी पेंशन योजना के प्राक्धान लागू होंगे।
10. यह नियुक्ति पूर्णतः अनंतिम है तथा बिना कोई कारण बताये एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते देकर सेवाएँ समाप्त की जा सकेंगी। इसी प्रकार संबंधित अधिकारी द्वारा एक माह का नोटिस देकर अथवा एक माह का वेतन/भत्ते जमा कराकर सेवा से त्यागपत्र दिया जा सकेगा।
11. नियुक्त किये गये अभ्यर्थियों को आदेश जारी होने के दिनांक से 01 माह की समयावधि के भीतर पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा, अन्यथा नियुक्ति आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा।

12. इस आदेश में कोई टंकण संबंधी त्रुटि होने पर इस विभाग को छ0ग0 लोक सेवा आयोग से प्राप्त अभिलेख में उल्लेखित जानकारी अनुसार ही मान्य किये जायेंगे।

2/ प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त नियुक्ति में आरक्षण नियमों का पालन किया गया है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार,


(दुर्गा देवागन)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग

नया रायपुर, दिनांक 29/07/2017

पृ.क्र.एफ 1-25/2014/38-1

प्रतिलिपि :-

- (1) मान. राज्यपाल के प्रमुख सचिव, राजभवन रायपुर
- (2) प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री जी, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (3) विशेष सहायक, माननीय मंत्रीजी, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (4) मुख्य सचिव के संयुक्त सचिव, छ.ग. शासन, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (5) महालेखाकार, छ.ग. रायपुर।
- (6) स्टाफ आफिसर,अ.मु.स., छ.ग. शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर।
- (7) आयुक्त, उच्च शिक्षा संचालनालय, इन्द्रावती भवन, नया रायपुर (छ.ग.)।
- (8) कलेक्टर, जिला - (छ.ग.)।
- (9) सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, रायपुर की ओर उनके पत्र क्रमांक 960/95/2010/चयन, रायपुर, दिनांक 07.07.2017 के संदर्भ में सूचनार्थ।
- (10) आयुक्त, जनसम्पर्क, रायपुर छ.ग. की ओर अग्रेषित कर आदेशानुसार सूचित है कि इसे प्रमुख समाचार पत्रों में प्रकाशित करवाने का कष्ट करें।
- (11) क्षेत्रीय अपर संचालक, उच्च शिक्षा..... (छ.ग.)
- (12) संबंधित प्राचार्य, शासकीय महाविद्यालय, की ओर अग्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व संबंधित के पहचान पत्र, सभी प्रमाण पत्रों/अनापत्ति आदि की मूल प्रति का परीक्षण कर स्वयं के सत्यापन एवं आदेश की कंडिका-2 के अनुसार शपथपत्र प्राप्त करने के उपरांत अभ्यर्थी को कार्यभार ग्रहण करावे तथा शपथ पत्र की छायाप्रति विभाग को उपलब्ध करावे।
- (13) संबंधित जिला कोषालय अधिकारी, जिला (छ.ग.)।
- (14) संबंधित श्री

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

(15) आदेश फोल्डर।


अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग